निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 112/2015 तारीख दायरा 15.12.2015

उनवान

1. बालकंवर पुत्री द्वारकालाल पत्नि प्रहलाद जाति नायक निवासी कोटडी हाल निवासी बम्बूलिया गजनपुरिया तह. बांरा जिला बांरा।
2. रामकन्याबाई उम्र 55 वर्ष पत्नि द्वारकालाल जाति नायक निवासी कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र नेनगा जाति नायक निवासी कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी) दिनॉक :– 28.12.2020

श्री धर्मराज नायक (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कोटडी पटवार हलका कोटडी तह. सांगोद निम्न प्रकार से स्थित है–

खाता सं.	खसरा न.	रकबा हैक्टर
293	408	0.04
	880	1.51
	881	0.01
	882	1.50
	921	0.46

कुल 5 किता की कुल 3.52 हैक्टर आराजी।

उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है तथा अपने 1/2 हिस्से की आराजी को शांति पूर्वक काबिज काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण द्वारा अपने पूर्वजों के समय ही आपसी सहमति से वादीगण व प्रतिवादी सं.2 द्वारा मौके पर हिस्से अनुसार विभाजन कर रखा है तथा आपसी सहमति से विभाजन में प्राप्त आराजी को शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं।

उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं.2 का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादीगण द्वारा आपसी सहमति से हुए पारिवारिक विभाजन अनुसार आराजी का विभाजन कराने हेतु पटवारी हलका से अपनी आराजी की नकल प्राप्त करने पर वादीगण की जानकारी में आया कि राजस्व रेकार्ड में खातेदार के नाम के पीछे रिज्यूम 1.3.70 दर्ज कर रखा है जिसके कारण वादीगण को अपने हिस्से की आराजी पर कृषि ऋण आदि प्राप्त करने व बंटवारा करने में काफी परेशानी हो रही है। वादीगण द्वारा पटवारी हलका से उक्त रिज्यूम शब्द हटाने की कहने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने से उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:15 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विवादित आराजी पर टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व वादीगण के पूर्वजों के शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की आराजी है तथा टीनेन्सी एक्ट लागू होते समय प्रत्येक कब्जेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे। तब से उक्त आराजी वादीगण के पूर्वजों व उनके बाद वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त आराजी है तथा राजस्व कर्मचारियों व

उपखण्ड अधिक...
सांगोद जिला कोटा

अधिकारी द्वारा बिना किसी आदेश के उक्त राजस्व रेकार्ड में रिज्यूम शब्द अंकित कर दिया है जबकि टीनेन्सी एक्ट में भी रिज्यूम शब्द समाप्त कर दिया जाने से उक्त रिज्यूम का कोई औचित्य नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड मे रिज्यूम शब्द हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वाद कारण आज से करीब एक माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने उक्त आराजी की नकल पटवारी हलका से प्राप्त की तो उक्त आराजी पर रिज्यूम शब्द अंकित होने की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा पटवारी हलका से रिज्यूम शब्द हटाने की कहने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहने पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माल ग्राम कोटडी पटवार हलका कोटडी तह. सांगोद की खाता सं. 293 के ख.न. 408, 880, 881, 882, 921 कुल 5 किता की कुल 3.52 है. आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज रिज्यूम शब्द हटाया जाकर वादीगण को उनके 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर घोषणा के कम में डिकी पारित फरमायी जावें तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज 1/2 हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए आराजी का विभाजन किया जाकर घोषणा व विभाजन की डिकी वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध जारी फरमायी जावें तथा उक्त घोषणा व विभाजन के अनुकम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में राज लगान पृथक अंकन कर अमल दरामद किया जावें, व राजस्व रेकार्ड से रिज्यूम शब्द हटाया जावें।

उक्त प्रकरण में दिनांक 17.5.2017 को न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत कुराडियाखुर्द में वादीगण एवं प्रतिवादी द्वारा राजीनाम पेश किया जो कि लोक अदालत द्वारा तस्दीक किया गया। वादीगण, प्रतिवादीगण एवं अधिवक्ता उभयपक्ष राजीनामें में वर्णित तथ्यों पर सहमति व्यक्त की। लोक अदालत द्वारा प्राथमिक डिकी किया गया एवं विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार सांगोद को पत्र लिखा गया।

अतः मुताबिक राजीनामा वाद अंतिम रूप से डिकी किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम कोटडी पटवार हलका कोटडी तह. सांगोद स्थित खाता सं.293 की ख.न. 408 की 0.04 है., ख.न. 880 की 1.51 है. एवं ख.न. 921 की 0[illegible] से 0.23है. दक्षिणी कुल 3 किता की कुल 1.78है. आराजी का प्रतिवादी सं.2 [illegible] खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं खाता सं.293 की ख.न. 88[illegible] की 0.01 है. [illegible] 882 की 1.50 है. एवं ख.न. 921 की 0.46है. में से 0.23है. उत्तरी कुल 3 किता की कुल 1.7[illegible] आराजी का वादीगण बालकंवर पुत्री रामकन्या बाई व रामकन्या बाई पत्नि स्व. द्वारकीलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। साथ ही पक्षकारान के खाते में दर्ज रिज्यूम शब्द हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। ख.न. 408

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

में वादीगण के होकर आने जाने में प्रतिवादी सं.2 किसी प्रकार की रूकावट नहीं करेगा। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राज लगान पृथक से दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:15 IST
Reason: SelfAttested

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 112/2015 तारीख दायरा 15.12.2015

उनवान

1. बालकंवर पुत्री द्वारकालाल पत्नि प्रहलाद जाति नायक निवासी कोटडी हाल निवासी बम्बूलिया गजनपुरिया तह. बांरा जिला बांरा।
2. रामकन्याबाई उम्र 55 वर्ष पत्नि द्वारकालाल जाति नायक निवासी कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र नेनगा जाति नायक निवासी कोटडी तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,53 आर टी एक्ट</u>

उपस्थित :–

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी) दिनांक :– 28.12.2020

श्री धर्मराज नायक (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बहादुर सिंह मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम कोटडी पटवार हलका कोटडी तह. सांगोद स्थित खाता सं.293 की ख.न. 408 की 0.04 है., ख.न. 880 की 1.51 है. एवं ख.न. 921 की 0.46है. में से 0.23है. दक्षिणी कुल 3 किता की कुल 1.78है. आराजी का प्रतिवादी सं.2 मांगीलाल पुत्र नेनगा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं खाता सं.293 की ख.न. 881 की 0.01 है., ख.न. 882 की 1.50 है. एवं ख.न. 921 की 0.46है. में से 0.23है. उत्तरी कुल 3 किता की कुल 1.74है. आराजी का वादीगण बालकंवर पुत्री रामकन्या बाई व रामकन्या बाई पत्नि स्व. द्वारकीलाल को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। साथ ही पक्षकारान के खाते में दर्ज रिज्यूम शब्द हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। ख.न. 408 में वादीगण के होकर आने जाने में प्रतिवादी सं.2 किसी प्रकार की रूकावट नहीं करेगा। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राज लगान पृथक से दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.04.20 11:52:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद